

# ORDER SHEET

II-155  
C.J.(E)

THE COURT

06of 2017

Date of  
order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

19/04/2017

आवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया।

प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20-12-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये

जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी क्र.-06/17 दिनांक 17-02-17 को 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 06 दिनांक 18-02-17 पर जमा होकर शेष है।

मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20-12-16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक 20-12-16 का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण जो मृतक के विधिक वारिस है, उन्हें उक्त राशि में 70000-70000/- (सत्तर-सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40000-40000/- (चालीस-चालीस हजार) रुपये बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।

चूकि आवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी द्वारा अवार्ड

राशि के भुगतान वावत् प्रथक से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जो वाद विचार न्यायहित में स्वीकार कर कुल राशि में से आवेदक के हिस्से के क्षतिपूर्ति राशि 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये का आदेशानुसार बाउचर तैयार किया जावे।

अतः आदेश के पालन में आवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी आयु 28 पत्नी दिनेश बघेल निवासी घोसीपुरा मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0 को उसके हिस्से के अवार्ड राशि 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये में से 70,000/- (सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40,000/- (चालीस हजार) रुपये बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे। आदेशानुसार आवेदिका के उपस्थित होने पर का रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायब नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

मूल अभिलेख में आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)

सदस्य

द्वितीय मो.दावा दुर्घ.प्राधि.गोहद